(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नोखा

1. सुखी पत्नी स्व. मेघाराम 2. रतीराम 3. लिच्छीराम पुत्रगण मेघाराम जाति जाट निवासी बिलनियास तहसील नोखा जिला बीकानेर **बनाम** स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 150 /2019 U/S 136 RLRA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
5.11.2019	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी सं. 1 का नाम सभी दस्तावेजात में सुखी पत्नी स्व. मेघाराम अंकित है, प्रार्थी सं. रतीराम अंकित है 3. लिच्छीराम अंकित है जबकि वाके रोही बिलनियासर के खाता सं. 52 के खेत खसरा नम्बर 333 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 335 रकबा 15.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 714/322 रकबा 0.35 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 15.59 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं. 1 का नाम चुकी पत्नी स्व. मेघाराम, प्रार्थी सं. 2 का नाम रतनाराम पुत्र मेघाराम तथा प्रार्थी सं. 3 का नाम लिछमणराम पुत्र मेघाराम अंकित है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है। हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही बिलनियासर के खाता सं. 52 के खेत खसरा नम्बर 333 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 335 रकबा 15.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 714/322 रकबा 0.35 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 15.59 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं.1 का नाम चुकी पत्नी स्व. मेघाराम के स्थान पर सुखी पत्नी स्व. मेघाराम प्रार्थी सं. 2 रतना राम पुत्र मेघाराम के स्थान पर रतीराम पुत्र मेघाराम तथा लिछमणराम पुत्र मेघाराम के स्थान पर लिच्छीराम पुत्र मेघाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीक तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया। 5/11/19 उपखण्ड अधिकारी	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2019.12.09 17:43:32 IST
Reason: SelfAttested